

चेकलिस्ट क्र.-26

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव (भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग- II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव का आनलाईन पंजीयन क्रं.- FP/CG/Other/154619/2022

7. परियोजना /स्कीम का स्थान :-

(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़ राज्य
(ii)	जिला	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
(iii)	वन प्रभाग	खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे.)	18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ. सी. लाईन बिछाने के गैरवानिकी कार्य के लिये वनेत्तर प्रयोग हेतु प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्र 4.687 हे. एवं 0.516 हे. राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल) कुल 5.203 हे. भूमि।

(v) वन की कानूनी स्थिति

आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-					
क्र	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	भूमि का प्रकार	वनकक्ष / खसरा क्रमांक	प्रभावित भूमि का रकबा (हे. में)
1	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	खैरागढ़	वनभूमि	पी-490ए	1.130
				पी-490बी	1.189
				566	1.553
				पी-569	0.815
वनभूमि का योग -					4.687
2	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	खैरागढ़	राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल)	5	0.054
				9	0.064
				180	0.031
				3	0.031
				266	0.026
				75	0.002
				120 / 1	0.115
				127	0.012
				190 / 6	0.100
				454	0.017
				451	0.021
				987	0.011
				953	0.015
				822	0.017
राजस्व वनभूमि का योग -					0.516
कुलयोग -					5.203

(vi)	हरियाली का घनत्व	आवेदित वनभूमि के हरियाली का घनत्व निम्नानुसार है:- <table><tr><th>क्र.</th><th>जिले का नाम</th><th>वनमंडल का नाम</th><th>वनकक्ष क्रमांक</th><th>प्रस्तावित वनभूमि का रकबा हे. में</th><th>वनकक्ष के हरियाली का घनत्व</th><th>आवेदित भूमि का घनत्व</th></tr><tr><td>1</td><td>खैरागढ़-छुईखदान-गंडई</td><td>खैरागढ़</td><td>पी-490ए</td><td>1.130</td><td>0.4 तक IV-B</td><td>0.4 तक</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>पी-490बी</td><td>1.189</td><td>0.4 तक IV-B</td><td>0.4 तक</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>566</td><td>1.553</td><td>0.5 तक IV-B</td><td>0.5 तक</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>पी-569</td><td>0.815</td><td>0.6 तक IV-B</td><td>0.6 तक</td></tr></table>	क्र.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	वनकक्ष क्रमांक	प्रस्तावित वनभूमि का रकबा हे. में	वनकक्ष के हरियाली का घनत्व	आवेदित भूमि का घनत्व	1	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	खैरागढ़	पी-490ए	1.130	0.4 तक IV-B	0.4 तक				पी-490बी	1.189	0.4 तक IV-B	0.4 तक				566	1.553	0.5 तक IV-B	0.5 तक				पी-569	0.815	0.6 तक IV-B	0.6 तक
क्र.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	वनकक्ष क्रमांक	प्रस्तावित वनभूमि का रकबा हे. में	वनकक्ष के हरियाली का घनत्व	आवेदित भूमि का घनत्व																															
1	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	खैरागढ़	पी-490ए	1.130	0.4 तक IV-B	0.4 तक																															
			पी-490बी	1.189	0.4 तक IV-B	0.4 तक																															
			566	1.553	0.5 तक IV-B	0.5 तक																															
			पी-569	0.815	0.6 तक IV-B	0.6 तक																															
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई /जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किए जाए ।	एफ.आर.एल. एवं एफ.आर.एल. से 2 मीटर तथा 4 मीटर में आने वाले वृक्षों की गणना आवश्यक नहीं है। क्योंकि प्रकरण सिंचाई से संबंधित नहीं है।																																			
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी ।	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता सामान्य है।																																			
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी ।	आवेदित वनभूमि वनक्षेत्र के अंदर ही है।																																			
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर आदि का भाग है । (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाए)	नहीं।																																			
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/ संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है, यदि हां/ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं।																																			
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/ पारम्परिक स्थल /प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें ।	नहीं है ।																																			
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो, जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें ।	आवेदित वनभूमि की आवश्यकता 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के कार्य के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।																																			
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई	नहीं हुआ है ।																																			

	कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभ चल रहे हैं।									
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा									
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/ अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार ।	प्रकरण में प्रभावित हो रही वनभूमि 4.687 हे. एवं 0.516 हे. राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल) कुल 5.203 हे. भूमि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये रायपुर वनमंडल अंतर्गत ग्राम भलेरा प.ह.नं. 62 रा.नि. व तह. आरंग जिला रायपुर के खसरा नंबर 926 का रकबा 32.130 हे. शासकीय राजस्व भूमि में से 18.000 हे. प्रस्तावित की जा रही है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक/ भू-प्रबंध/ विविध/ 115-25/807 दिनांक 31.03.2023 द्वारा 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण हेतु निर्धारित की गई राशि 9,66,666/- रुपये प्रति हे. की दर से निर्धारित की जाने वाली राशि आवेदक संस्थान द्वारा वन विभाग को उनके मांग के अनुरूप जमा की जावेगी। दर में परिवर्तन होने पर उसके अंतर की राशि भी दी जावेगी। वचन पत्र आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया है।								
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वन क्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।	संलग्न है।								
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि ।	आवश्यक नहीं है।								
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय ।	आवश्यक नहीं है।								
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	आवश्यक नहीं है।								
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	आवेदित वनभूमि में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजाति नहीं पाई जाती है। आवेदित वनभूमि में कोई सुरक्षित पुरातात्वीय/ पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र नहीं है। आवेदित वनभूमि की मांग 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाइन एवं ओ.एफ.सी. लाइन बिछाने के कार्य के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। आवेदक संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के किसी भी उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया है।								
12.	विभाग /जिला प्रोफाईल									
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला- 2276.80 वर्ग कि.मी.								
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	खैरागढ़ वनमंडल का वनक्षेत्र निम्नानुसार है :- <table><tr><td>क्र.</td><td>वन का प्रकार</td><td>रकबा (हे. में)</td><td>वर्ग (कि.मी. में)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	क्र.	वन का प्रकार	रकबा (हे. में)	वर्ग (कि.मी. में)				
क्र.	वन का प्रकार	रकबा (हे. में)	वर्ग (कि.मी. में)							

		1	आरक्षित वन	57205.240	1305.51																
		2	संरक्षित वन	73295.046																	
		3	असीमांकित वन	50.922																	
		योग -		130551.208																	
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत पंजीकृत प्रकरणों में से खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत विभिन्न 17 प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा जारी अंतिम चरण की स्वीकृति के पश्चात आवेदक संस्थानों को 219.242 हे. वनभूमि वनेत्तर प्रयोग के लिये हस्तांतरित की गई है ।																			
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक : (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि । (ख) वनेत्तर भूमि पर	101.822 हे. 94.159 हे.																			
(v)	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वन भूमि । (ख) वनेत्तर भूमि पर ।	<table><tr><td>क्र.</td><td>वनमंडल का नाम</td><td>प्रकरण संख्या</td><td>क्षतिपूर्ति वनीकरण का रकबा हे. में</td></tr><tr><td>1</td><td>खैरागढ़</td><td>03</td><td>101.822</td></tr></table> <table><tr><td>क्र.</td><td>वनमंडल का नाम</td><td>प्रकरण संख्या</td><td>क्षतिपूर्ति वनीकरण का रकबा हे. में</td></tr><tr><td>1</td><td>खैरागढ़</td><td>08</td><td>94.159</td></tr></table>				क्र.	वनमंडल का नाम	प्रकरण संख्या	क्षतिपूर्ति वनीकरण का रकबा हे. में	1	खैरागढ़	03	101.822	क्र.	वनमंडल का नाम	प्रकरण संख्या	क्षतिपूर्ति वनीकरण का रकबा हे. में	1	खैरागढ़	08	94.159
क्र.	वनमंडल का नाम	प्रकरण संख्या	क्षतिपूर्ति वनीकरण का रकबा हे. में																		
1	खैरागढ़	03	101.822																		
क्र.	वनमंडल का नाम	प्रकरण संख्या	क्षतिपूर्ति वनीकरण का रकबा हे. में																		
1	खैरागढ़	08	94.159																		
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश ।	18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ. सी. लाईन बिछाने के कार्य से संबंधित प्रकरण को स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है ।																			
 (उत्तम कुमार गुप्ता) भा.व.से. वनमंडल अधिकारी. वन एवं जलवायु परियोजना विभाग खैरागढ़ वनमंडल, खैरागढ़																					

(उत्तम कुमार गुप्ता)

भा.व.से.

वनमंडल अधिकारी.

वन एवं जलवायु परियोजना विभाग

खैरागढ़ वनमंडल, खैरागढ़

चेकलिस्ट क्र.-26

प्रपत्र-3

**वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव
पर वन संरक्षक/वन मंडल अधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन**

1	परियोजना का नाम	18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ. सी. लाईन बिछाने के गैरवानिकी कार्य				
2	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	उप महाप्रबंधक (परियोजना) गेल ईण्डिया लिमिटेड तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.)				
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ. सी. लाईन बिछाने के गैरवानिकी कार्य के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उपयोग पर दिये जाने की मांग की गई है।				
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल		
		खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	खैरागढ़	दक्षिण बोरतलाव		
5	वन भूमि का विस्तृत विवरण	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत दक्षिण बोरतलाव वन परिक्षेत्र के आरक्षित एवं संरक्षित का रकबा 4.687 हे. तथा राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल) का रकबा 0.516 हे. इस प्रकार कुल रकबा 5.203 हे. भूमि में 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ. सी. लाईन बिछाने के गैरवानिकी कार्य के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उपयोग पर दिये जाने की मांग की जाती है। इस कार्य से छत्तीसगढ़ राज्य को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होगी तथा ओ.एफ.सी. लाईन से संचार की व्यवस्था सुगम होगी।				
	(क) आरक्षित वन	क्र.	जिला	वनमंडल	वनकक्ष	रकबा हे. में
		1	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	खैरागढ़	566	1.553
	(ख) सीमांकित संरक्षित वन	क्र.	जिला	वनमंडल	वनकक्ष	रकबा हे. में
		1	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	खैरागढ़	पी-490ए	1.130
		2		खैरागढ़	पी-490बी	1.189
		3		खैरागढ़	पी-569	0.815
	(ग) असीमांकित संरक्षित वन	—				

(घ) राजस्व वन क्षेत्र		क्र.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	भूमि का प्रकार	वनकक्ष / खसरा क्रमांक	प्रभावित भूमि का रकबा (हे. में)
		1	खैरागढ़—छुईखदान—गंडई	खैरागढ़	राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल)	5	0.054
						9	0.064
						180	0.031
						3	0.031
						266	0.026
						75	0.002
						120 / 1	0.115
						127	0.012
						190 / 6	0.100
						454	0.017
						451	0.021
						987	0.011
						953	0.015
						822	0.017
योग —						0.516	
योग —		5.203 हे.					
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	खैरागढ़ वनमंडल की प्रभावित हो रही वनभूमि मिश्रित वन है एवं इसकी स्थल गुण श्रेणी IV-A है तथा कक्ष इतिहास के अनुसार आवेदित वनभूमि का औसत घनत्व 0.5 तक दर्शित है।					
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	आवेदित वनभूमि का औसत घनत्व 0.5 तक है तथा आवेदित वनभूमि में मिश्रित प्रजाति के 1271 तथा राजस्व वनभूमि में मिश्रित प्रजाति के 21 कुल 1292 नग वृक्ष विद्यमान है। जिसकी विदोहन योजना तैयार की गई है।					
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	प्राकृतिक सामान्य					
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./ वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)	प्रकरण विविध के अंतर्गत है।					
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील /वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	नहीं।					

11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/ भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे ।)	नहीं ।
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें ।	नहीं ।

प्रमाण— पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है।

आवेदक संस्थान द्वारा खैरागढ़ वनमंडल के अंतर्गत दक्षिण बोरतलाव वन परिक्षेत्र के आरक्षित वनकक्ष 566 की का रकबा 1.553 हे., संरक्षित वनकक्ष क्रमांक पी-490ए का रकबा 1.130 हे., पी-490बी का रकबा 1.189 हे. एवं पी-569 का रकबा 0.815 हे. योग रकबा 4.687 हे. वनभूमि एवं 0.516 हे. राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल) कुल 5.203 हे. मांग की गई भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

स्थल निरीक्षण दिनांक :- 10/04/2023

(उत्तम कुमार गुप्ता)

भा.व.से.

21/04/2023
वन विभाग, खैरागढ़
खैरागढ़ जिला, उत्तरांचल प्रदेश